

सं. 37: बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) - पंजीकरण

(राशि मिलियन यूएस\$ में)

| मद | 2022-23 | 2022 | 2023 | |
|---|------------|------------|------------|------------|
| | | मई | अप्रै. | मई |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 स्वचालित मार्ग | | | | |
| 1.1 संख्या | 1093 | 95 | 102 | 129 |
| 1.2 राशि | 24156 | 1416 | 1561 | 2648 |
| 2 अनुमोदन मार्ग | | | | |
| 2.1 संख्या | 9 | 1 | 4 | 1 |
| 2.2 राशि | 2473 | 100 | 3799 | 5000 |
| 3 कुल (1+2) | | | | |
| 3.1 संख्या | 1102 | 96 | 106 | 130 |
| 3.2 राशि | 26629 | 1516 | 5360 | 7648 |
| 4 भारत औसत परिपक्वता (वर्षों में) | 5.72 | 5.80 | 5.40 | 6.90 |
| 5 ब्याज दर (प्रतिशत) | | | | |
| 5.1 6 महीने के लाइबोर पर भारत औसत मार्जिन या अस्थिर दर के ऋणों के लिए संदर्भ दर | 1.68 | 2.52 | 0.92 | 2.41 |
| 5.2 सावधि दर के ऋणों के लिए ब्याज दर की सीमा | 0.00-11.80 | 0.00-10.50 | 0.00-11.50 | 0.00-12.00 |

उधारकर्ता श्रेणियाँ

| | | | | |
|---|------|-----|------|------|
| I. कॉर्पोरेट विनिर्माण | 6925 | 712 | 413 | 5570 |
| II. कॉर्पोरेट -बुनियादी संरचना | 8396 | 456 | 3516 | 924 |
| ए) परिवहन | 333 | 0 | 3 | 97 |
| बी) ऊर्जा | 2235 | 54 | 205 | 96 |
| सी) पानी और सफ़ाई व्यवस्था | 32 | 10 | 0 | 0 |
| डी) संचार | 1538 | 0 | 2799 | 170 |
| ई) सामाजिक और वाणिज्यिक बुनियादी संरचना | 530 | 100 | 0 | 0 |
| एफ) अन्वेषण खनन और रिफाइनरी | 2085 | 16 | 500 | 300 |
| जी) अन्य उप-क्षेत्र | 1643 | 276 | 9 | 261 |
| III. कॉर्पोरेट सेवा क्षेत्र | 1773 | 129 | 90 | 47 |
| IV. अन्य संस्थाएं | 1805 | 0 | 0 | 0 |
| ए) एसईजेड में इकाई | 6 | 0 | 0 | 0 |
| बी) सिडबी | 0 | | 0 | 0 |
| सी) एक्विजिशन बैंक | 1800 | 0 | 0 | 0 |
| V. बैंक | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. वित्तीय संस्थान (एनबीएफसी के अलावा) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. एनबीएफसी | 7540 | 210 | 1327 | 1078 |
| ए) एनबीएफसी -आईएफसी/एएफसी | 3031 | 100 | 1059 | 150 |
| बी) एनबीएफसी -एमएफआई | 313 | 0 | 18 | 39 |
| सी) एनबीएफसी - अन्य | 4196 | 110 | 250 | 889 |
| VIII. गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. सूक्ष्म वित्त संस्था (एमएफआई) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X. अन्य | 189 | 9 | 14 | 29 |

टिप्पणी: ईसीबी/ विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफसीसीबी) के लिए आवेदनों के आधार पर जिन्हें अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या आबंटित की गई है।